निविदा–प्रपत्र

निविदा फार्म क्रमांक..............

निविदा प्रपत्र खरीदी की रसीद का क्रमांक...................................दिनांक ....

प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन मण्डी)
जिला गुना म.प्र.

विषयः– मण्डी निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के मुद्रण हेतु निविदा वर्ष 2017 ।

संदर्भः– निविदा सूचना क्रमांक..दिनांक..............................

महोदय,

विषयांतर्गत निविदा सूचना के संदर्भ में, मै/हम जिला गुना की मण्डी निर्वाचन की मतदाता केन्द्र वार मतदाता सूची मुद्रण के लिए निम्नानुसार दरें अंकित करता हूँ/करते हैः–

क्र.	कार्य	50 प्रतियों के लिए दर
1	प्रथम पृष्ठ जिसके आधे भाग में सार–विवरण (गोशवारा) मुद्रित हो केवल 50 से 55 नाम रहेंगे	
2	मतदाता सूची का पूर्ण पृष्ठ जिसमें 90 नाम का मुद्रण हो	(अंकों में)................................ (शब्दों में).............................
3	मतदाता सूची का आधा पृष्ठ जिसमें 40 नाम तक का मुद्रण हो	(अंकों में)................................ (शब्दों में).............................
4	मतदाता सूची का चौथाई पृष्ठ जिसमें 22 नाम तक का मुद्रण हो	(अंकों में)................................ (शब्दों में).............................

2. मैने/हमने मण्डी निर्वाचन की मतदाता केन्द्र वार मतदाता सूची के मुद्रण के लिए शर्ते और अनुदेश पढ लिये हैं, और मै/हम उनका पालन करने के लिए सहमत है।

3. मेरे/हमारे मुद्रणालय के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार हैः–

(1) मुद्रणालय (प्रेस) का विवरण :–

(i) फर्म/मुद्रणालय का नाम/स्थान. ....

....

(ii) फर्म/मुद्रणालय का पंजीकरण नंबर ....

(iii) स्वामी का नाम /पता /दूरभाष /
मोबाईलनंबर/ई–मेल आई.डी. ....

....

....

....

....

(iv) भागीदारी का स्वरूप ....

(v) भागीदारें के नाम 1..

(पूर्ण विवरण सहित) 2..

3..

(vi) मुद्रणालय का डाक का पूर्ण पता : ....

....

....

(3) मुद्रणालय (प्रेस) का वाणिज्यककर (TIN N0) : ....

(4) उपलब्ध मुद्रण मशीनरी
एवं मानव शक्ति का विवरण (अ) स्थान/भवन ....

(ब) मशीनरी ....

....

....

(स) मानव शक्ति ....

(5) विगत दो वर्ष मे किये गये शासकीय मुद्रण ....
कार्यो का संक्षिप्त विवरण

दिनांक ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

पता ....

दूरभाष/मोबाईल नंबर ....

ई–मेल आईडी ....

निविदा शर्ते और अनुदेश

1. मंडी समितियों के सामान्य निर्वाचन 2018 के लिए जिला गुना की कृषि उपज मंडी समितियॉ गुना, आरोन, राघौगढ, मक्सूदनगढ, कुंभराज तथा बीनागंज (चांचौडा) की तैयार की गई मतदाता सूचियों प्रत्येक मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची के विहित नमूने के अनुसार मुद्रित की जावेगी। वास्तविक मुद्रण कार्य की जानकारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा मुद्रण आदेश के साथ दी जावेगी। मंडी निर्वाचन की मतदाता सूचियों का मुद्रण 50 प्रतियों में कराया जायेगा। इसमे से प्रत्येक मंडी के 5 सेट जिल्द बनाकर देना होगा ।

मतदाता सूची के मुद्रण में कम्पोजिंग, प्रिंटिंग, स्टिचिंग और पेकिंग का कार्य सम्मिलित होगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र वार सूची मजबूती से दो स्थानों पर स्टिच करके दी जाएगी तथा प्रत्येक मंडी निर्वाचन के अंतर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों की सूची का सेट ठीक से पैक करके अधिकृत अधिकारी को सौंपा जाएगा।

2. निविदा सीलबंद लिफाफे में जिस पर मतदाता सूची के मुद्रण हेतु निविदा लिखा हो अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा सूचना में अंकित तारीख अर्थात दिनांक **15 जून 2017 अपरान्हः 3:00 बजे तक** तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जानी चाहिए। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी। निर्धारित तिथी/समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं को विचार मे नही लिया जावेगा ।

3. निविदा प्रपत्र में:–
   - (i) प्रथम पृष्ठ के लिए
   - (ii) पूरे पृष्ठ के लिए
   - (iii) आधे पृष्ठ के लिए तथा
   - (iv) चौथाई पृष्ठ के लिए, यथा स्थान दरें अंकित की जाएं।

4. (i) मतदाता सूची 12 पाइन्ट व्हाईट टाईप (हिन्दी) में मुद्रित की जायेंगी।
   - (ii) मुद्रित की जाने वाली मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के नमूने संलग्न है।
   - (iii) प्रथम पृष्ठ को छोडकर आगामी पृष्ठों पर शीर्षक के अलावा कम से कम 90 नाम मुद्रित किये जायेंगे।

5. मतदाता सूची प्रूफ रीडिंग कराकर मुद्रित की जावेगी। प्रूफ रीडिंग का दायित्व संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी का होगा।
6. मतदाता सूची का मुद्रण स्वयं के स्टेण्डर्ड फोटो कापियर कागज पर किया जाएगा।
7. मुद्रण से संबंधित सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था मुद्रक को स्वयं करनी होगी।
8. निविदा के लिए 10000/– (दस हजार रूपये) की अमानत राशि निर्धारित है। यह राशि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) गुना के नाम पर किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की जा सकती है, निविदा के साथ अमानत राशि का मूल बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
9. निविदा कार्यालय व्दारा विक्रीत निविदा प्रपत्र में ही भरकर प्रस्तुत की जाए। निर्धारित प्रपत्र से भिन्न किसी अन्य प्रकार के फार्म में प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र में वह सब जानकारी पूंर्णरूपेण और सही–सही भरी जानी चाहिए जो बांछित है। उसके अभाव में या अपूर्ण होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विहित है ।

11. सफल निविदाकारों को तत्काल आगामी दिवस मे जिला निर्वाचन कार्यालय मे उपस्थित होकर औपचारिकताएं की पूर्ति एवं अनुबंध निष्पादित करना होगा । प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) के रूप में प्रति मंडी के मान से राशि रूपये 20000/- (बीस हजार रूपये) जमानत की राशि राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) गुना के नाम से जारी FDR (सावधि जमा रसीद) के रूप मे जमा कराई जाना आवश्यक होगा । यदि निविदाकार द्वारा निर्धारित समय के अंदर कार्य पूर्ण नही किया एवं अन्य अनियमितताऐं की गई तो सिक्यूरिटी की राशि राजसात कर ली जावेगी और कार्य किसी अन्य निविदाकार को सौंप दिया जाएगा।

12. कार्य ठीक और समय पर पूर्ण कर सकने के बावत मुद्रणालय की क्षमता के ऑकलन के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

13. मतदाता सूचियों के मुद्रण के लिए निम्नानुसार समय दिया जाएगा–

(i) सम्पूर्ण मंडी मतदाता सूची मुद्रण के लिए 7 दिवस का होगा।

यह अवधि कार्य आदेश किए जाने की तारीख के अगले दिन से गिनी जाएगी।

14. यदि कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी को ऐसा लगे कि निविदाकार निर्धारित समयावधि में उसे दिया गया कार्य पूरा नहीं कर पाएगा तो वह कार्य को पूर्णतः या अंशतः उससे तत्काल वापस ले सकेगा और अन्यत्र ट्रांसफर कर सकेगा। इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय आएगा वह त्रुटिकर्ता मुद्रक से वसूल किया जाएगा। अतिरिक्त व्यय के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारक होगा।

15. मतदाता सूची का मुद्रण आदेश प्राप्त हो जाने के बाद मतदाता सूची का मुद्रण पूर्णकर प्राधिकृत अधिकारी को सौंपे जाने का दायित्व निविदाकार का होगा । इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा ।

16. मुद्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को मुद्रित मतदाता सूची सौंप दिए जाने पर किए गए कार्य के देयक का भुगतान देयक प्रस्तुत करने पर जिला कार्यालय मण्डी बोर्ड भोपाल को आवश्यक प्रमाणी करण किये जाकर प्रेषित किये जावेगें । इनका भुगतान मण्डी बोर्ड ब्दारा किया जावेगा ।

17. मुद्रण में विलम्ब के लिए अधिरोपित किए जाने वाले अर्थदण्ड की दरें निम्नानुसार होगी–

(i) प्रथम सप्ताह के दौरान प्रतिदिन के विलम्ब के लिए 5 प्रतिशत

(ii) प्रथम सप्ताह के पश्चात प्रतिदिन के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

18. (i) मुद्रण में हुई त्रुटि हेतु (i)एक पृष्ठ में मुद्रण की जितनी त्रुटियां होंगी उतने प्रतिशत का कटौत्रा उस पृष्ठ के मुद्रण चार्जेज से किया जावेगा। उदाहरणकर्ता यदि एक पृष्ठ की मुद्रण दर रूपये 40 है और उस पृष्ठ में मुद्रण की 8 त्रुटियां हैं तो रूपये 40 का 8 प्रतिशत अर्थात 3.20 का कटौता किया जावेगा।

(ii) 10 से अधिक अशुद्धियों वाले पृष्ठों के मामले में या जहां मुद्रण अस्पष्ट पाया जायगा वहां मुद्रक उन्हें पुनः नए सिरे से निःशुल्क मुद्रित करने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा ।

19. प्रत्येक मंडी निर्वाचन की मतदाता सूचियों की 50 प्रतियां मतदाता केन्द्रवार मुद्रित करना है। यदि मुद्रित प्रतियों की संख्या 50 हो तक भी वेस्टेज की गणना 4 प्रतिशत के मान से ही की जायेगी।

20. प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची के अंतिम पृष्ठ के नीचे मुद्रक संक्षेप में प्रिंट लाईन मुद्रित करेगा। अर्थात प्रेस का नाम, छापी गई प्रतियों की संख्या एवं छपाई का वर्ष। प्रिंट लाईन मुद्रित न होने पर उस के मुद्रण देयक से 1 प्रतिशत का कटोत्रा किया जावेगा।

21. मतदाता सूची मुद्रण उपरांत जिले की सभी मंडी समितियों की मतदाता सूची सी.डी/डी.वी.डी की भी एक प्रति इस कार्यालय को सौंपना आवश्यक होगा.

संलग्न– (i) निविदा प्रपत्र।

(ii) मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना।

7.6.17

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी)
जिला गुना म.प्र.